



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 05.08.2025

- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- थाना रसूलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 254/225 धारा 64(2)(m)/65(1)/61(2)/127(3)/137(2)/351(2)/352 बीएनएस व धारा 3/4(2)/5(1)/6 पाक्सो एक्ट में वांछित था अभियुक्त ।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री हरीश चन्दर के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री अरविन्द मिश्र के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 21.06.2025 को वादिनी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना रसूलाबाद पर मु0अ0सं0 254/225 धारा 61(2)/127(3)/137(2)/351(2)/352 बीएनएस0 बनाम 03 नफर नामजद अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया था। पंजीकृत अभियोग की विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(2)(m)/65(1) बीएनएस व धारा 3/4(2)/5(1)/6 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी । आज दिनांक 05.08.2025 को थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में वांछित 01 नफर अभियुक्त बाबू उर्फ मोहित बाबू पुत्र नरेश निवासी अमृतपुर थाना बेला, जनपद औरैया समय 09.20 बजे लालू पुल के पास थाना रसूलाबाद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

बाबू उर्फ मोहित बाबू पुत्र नरेश उम्र 23 वर्ष, निवासी अमृतपुर थाना बेला, जनपद औरैया ।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 254/225 धारा 64(2)(m)/65(1)/61(2)/127(3)/137(2)/351(2)/352 बीएनएस0 व धारा 3/4(2)/5(1)/6 पाक्सो एक्ट, थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना रसूलाबाद पुलिस